# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

(6)

| अपील संख्या | प्रवेश तिथि | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|
| 11/45/2014 | 15–12–2014 | 24–05–2018 |

1–सुरेन्द्रकौर पुत्री फौजासिंह उर्फ फौजसिंह पत्नी जे.एम.वालिया जाति खत्री निवासी 13 बी ज्योति अपार्टमेंट, सैक्टर 14 एक्सटेंशन रोहिणी, दिल्ली–85

2– पुष्पेन्द्रकौर पुत्री फौजासिंह उर्फ फौजसिंह पत्नी भूपेन्द्रसिंह जाति खत्री निवासी मकान नं0 144, साईट द्वितीय, विकासपुरी, नई दिल्ली–18

3– प्रीतिसिंह पत्नी प्रतिपालसिह पुत्रवधु फौजासिंह उर्फ फौजसिंह जाति खत्री

4– प्रत्यक्षपालसिंह पौत्र फौजासिंह उर्फ फौजसिंह जाति खत्री

5– गरिमासिंह पुत्री प्रतिपासिंह पौत्री फौजासिंह उर्फ फौजसिंह जाति खत्री निवासीयान आर.जी. 49–बी, रघुवीर नगर, नई दिल्ली–27

अपीलान्ट

बनाम

1– कुलबीरकौर पुत्री फौजासिंह उर्फ फौजसिंह पत्नी राजकुमार वासन जाति खत्री निवासी सी 1ए/2ए, जनकपुरी, नई दिल्ली–58

2– बलवीरसिंह पुत्र फौजासिंह उर्फ फौजसिंह जाति खत्री निवासी निवाली तहसील रामगढ, जिला अलवर राज0

3– तहसीलदार रामगढ़, जिला अलवर राज0

रेस्पाडेन्ट्स

**अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार रामगढ़ का निर्णय दिनांक 16.10.2014 नामान्तकरण संख्या 262 ग्राम सोनागढ़ तहसील रामगढ़, जिला अलवर राज0**

उपस्थित:–

01. श्री सनत कुमार जैन –वकील अपीलान्ट
02. श्री लक्ष्मण सिंह पोसवाल –वकील रेस्पाडेन्ट्स

THE ADDITIONAL COLLECTOR अतिरिक्त जिला कलक्टर * अलवर (राज0) * ALWAR (RAJ.)

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार रामगढ़ के आदेश दिनांक 16.10.2014 इन्तकाल संख्या 262 ग्राम सोनागढ, तहसील रामगढ़, जिला अलवर बेजा तौर पर स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। अपील अपीलांट की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्टान ने दिनांक 08.12.2014 को अपनी माता जंगीरकौर की कृषि आराजी का विरासत का इन्तकाल खुलवाने के लिए पटवारी हल्का के पास गए। पटवारी हल्का ने बताया कि जंगीरकौर की विरासत का इन्तकाल संख्या 262 दिनांक 16.10.2014 को रैस्पॉडेन्ट नम्बर 01 व 02 के नाम स्वीकार किया जा चुका है। पटवारी हल्का से नकल दिनांक 11.12.2014 को प्राप्त कि गई। दिनांक 16.10.2014 से दिनांक 08.12.2014 तक का समय जानकारी के अभाव में व्यतीत हुआ। देरी के लिए धारा–5 में मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत हो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक जंगीरकौर के वारिसान की जांच नही की गई। जंगीरकौर को विवादित आराजी की वसीयत रैस्पॉडेन्ट के नाम करने का कोई कानूनी



अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

अधिकार नही था। विवादित आराजी अपीलान्ट व मृतक जंगीरकौर की पैतृक आराजी है। मृतक जंगीरकौर केवल मात्र अपने हिस्से तक की विवादित आराजी की वसीयत कर सकती थी। रैस्पॉडेन्ट विवादित आराजी पर गैरकाबिज है अपीलान्ट का विवादित आराजी पर कब्जा है। अतः अपीलान्टान की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ का निर्णय दिनांक 16.10.2014 इन्तकाल संख्या 262 ग्राम सोनागढ, तहसील रामगढ निरस्त फरमाया जावें।

विद्वान वकील रैस्पॉडेन्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को स्वीकार/अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि विवादित आराजी का पट्टा जंगीरकौर द्वारा कीमत कर्जा अदा कर प्राप्त किया गया है। जिस आराजी को जंगीरकौर द्वारा हम रैस्पॉडेन्टस को वसीयत द्वारा दिया गया है। वकील रैस्पॉडेन्ट द्वारा निवेदन किया गया की उक्त वसीयत के संबंध मे अपीलान्ट द्वारा माननीय सिविल न्यायाधीश क0ख0 रामगढ़ में भी एक दावा विचाराधीन है जिसमें आदिनांक तक कोई निर्णय पारित नही हुआ है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें। वकील रैस्पॉडेन्ट द्वारा आर0आर0टी0 2016 (1) पेज 583, आर0आर0टी0 2014–15 (सर्वोच्च) पेज 467, आर0आर0डी0 2008 पेज 383, आर0आर0डी0 2002 पेज 280 सनद पट्टा संख्या 1/87 दिनांक 15.04.1992 की फोटो प्रति, वसीयतनामे की फोटो प्रति, माननीय सिविल न्यायाधीश क0ख0 रामगढ़ में विचाराधीन वाद की प्रति पेश की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। चुंकि जंगीरकौर द्वारा की गई वसीयत के संबंध में दावा माननीय सिविल न्यायाधीश क0ख0 रामगढ़ में विचाराधीन है तथा वसीयत के संबंध में माननीय न्यायालय में कोई निर्णय नही हुआ है एवं उक्त वसीयत आज दिनांक तक वैध है तथा अस्तित्व में है अतः उक्त वसीयत के आधार पर पारित नामान्तरकरण को निरस्त किया जाना कतई न्यायोचित नही है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति तहसीलदार रामगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 24.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज०) ALWAR (RAJ.)

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)